

1
प्रेषक,

रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी आई0टी0 सैल,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून।

संख्या 585 / वाहन / सू0अधि0अधि0-2005 / भू0खनि0नि0 / 2024-25
विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत 01 से 17 तक मैन्युअल अपडेट कर
विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में।

दिनांक 13 मई, 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि सहायक रसायनज्ञ/लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी देहरादून के पत्र संख्या 416/सू0काअधि0-05/ मैन्युअल अपडेट/2024-25 दिनांक 04 मई, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से वाहन अनुभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत 01 से 17 तक मैन्युअल अपडेट कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मुख्यालय देहरादून के भण्डार अनुभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में 15 नये बुलेरों वाहनों का क्रय किया गया तथा क्रय किये गये 15 बुलेरों वाहनों में से कार्यालय आदेश संख्या 472/वाहन आवंटन/भू0खनि0नि0/2022-23 दिनांक 04 मई, 2023 के द्वारा 12 वाहनों का आवंटन जनपदीय कार्यालयों हेतु किया गया है। (छायाप्रति संलग्न-1) उक्त के अतिरिक्त शेष 03 वाहनों का आवंटन कार्यालय आदेश संख्या 881/वाहन आवंटन/भू0खनि0नि0/2022-23 दिनांक 04 मई, 2023 के द्वारा वाहन संख्या UK 07 GA/4506, UK 07 GA/4510 व UK 07 GA/4512 (तीन वाहनों) का मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन दल हेतु किया गया है। (छायाप्रति संलग्न-2)।

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 31037/1/2022-एमएफएच दिनांक 23 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 139071/IX -1/2023-396(परि0)/2003 दिनांक 19 जूलाई, 2023 के क्रम में विभागीय 15 वर्ष से अधिक पुराने 14 वाहनों को निप्रयोज्य कर 11 पुराने वाहनों को एम0एस0टी0सी0 द्वारा नीलाम कर दिया गया है। जिनका विवरण पत्र के साथ संलग्न है।

अतः महोदय से निवेदन है कि वाहन अनुभाग से सम्बन्धित उक्त सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत 01 से 17 तक मैन्युअल अपडेट कर विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एच0आर0सिंह)

रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन।

संख्या
प्रतिलिपि:

/ वाहन / सू0अधि0अधि0-2005 / भू0खनि0नि0 / 2024-25
सहायक रसायनज्ञ/लोक सूचना अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

तददिनांकित।

(एच0आर0सिंह)

रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 472 / वाहन आवंटन/भूखनि0ई0/2023-24

दिनांक 04 मई, 2023

संबन्धित कार्यालय आदेश

विभाग हेतु 12 नये बुलेरो वाहन मोबाइल चैक पोस्ट वैन के रूप में कय किये गये हैं। उक्त वाहनों के कय किये जाने के उपरान्त शासकीय/फील्ड कार्यों की महत्ता के दृष्टिगत विभाग में उपलब्ध चालकों के आधार पर तत्काल प्रभाव से विभाग के जनपदीय कार्यालयों हेतु अवैध खनन/ भण्डारण/परिवहन को रोकने एवं प्रवर्तन (Enforcement) के लिये में मोबाइल चैक पोस्ट वैन के रूप में निम्नानुसार विभागीय वाहन मय चालक सहित जिला खान अधिकारियों को आवंटित किया जाता है तथा जिन जनपदों में चालक उपलब्ध नहीं है, मुख्यालय द्वारा चालको की नयी नियुक्ति किये जाने के उपरान्त, वाहन आवंटित कर दिये जायेंगे।

क्र. सं.	वाहन संख्या	चालक का नाम	जनपद का नाम	अभ्युक्ति
1	UK07GA/4502	श्री रामदत्त ओझा (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय पिथौरागढ़।	-
2	UK07GA/4503	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय रुद्रप्रयाग।	चालक उपलब्ध नहीं है।
3	UK07GA/4504	श्री हेमन्त कुमार (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय अल्मोड़ा/बागेश्वर।	-
4	UK07GA/4505	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय चम्पावत।	चालक उपलब्ध नहीं है।
5	UK07GA/4507	श्री ब्रजेश कुमार (पी0आर0डी0)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय नैनीताल।	-
6	UK07GA/4508	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय उधमसिंहनगर।	चालक उपलब्ध नहीं है।
7	UK07GA/4509	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय उत्तरकाशी।	चालक उपलब्ध नहीं है।
8	UK07GA/4511	श्री राकेश कुमार (उपनल)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय चमोली।	-
9	UK07GA/4513	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय टिहरी गढ़वाल।	चालक उपलब्ध नहीं है।
10	UK07GA/4514	श्री गणेश प्रसाद (उपनल)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय पौड़ी गढ़वाल।	-
11	UK07GA/4515	श्री आसिफ अली (नियमित)	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय देहरादून।	-
12	UK07GA/4516	-	भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, जनपद कार्यालय हरिद्वार।	चालक उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त वाहन चालको को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर वाहन संचालन करना सुनिश्चित करें तथा वाहन की साज-सज्जा, मरम्मत एवं समय पर सर्विसिंग करवाये जाने सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेदारी, सम्बन्धित जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित वाहन चालक की होगी।

भवदीय,
04/5/2023
(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक OK

संख्या 472 / वाहन आवंटन/भू०खनि०ई०/2023-24 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. सम्बन्धित जिला खान अधिकारी (नाम से), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित वाहन चालक के माध्यम से मुख्यालय परिसर से प्रभारी अधिकारी वाहन से सम्पर्क स्थापित कर अपने जनपद से सम्बन्धित वाहन को प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
2. आहरण वितरण अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभारी अधिकारी वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. सम्बन्धित वाहन चालक (नाम से), को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आवंटित वाहन के साथ उपलब्ध सामग्री को वाहन अनुभाग में रक्षित प्राप्ति पंजिका पर अंकित कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें, जिसके रख-रखाव एवं सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

दो प्रति प्राप्त की
राम देव शर्मा
6/5/23

04/5/2023
(एस०एल०पैट्रिक)
निदेशक OK

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।

संख्या 881

/वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023-24


दिनांक 01 जून
मई, 2023

कार्यालय आदेश

विभाग हेतु कुल 15 नये बुलेरो वाहन कय किये गये है, जिसमें से 12 वाहन मोबाइल चैक पोस्ट वैन के रूप में जनपदों हेतु कार्यालय आदेश संख्या 472/वाहन आवंटन/भू.खनि.ई./2023-24 दिनांक 04 मई, 2023 के द्वारा आवंटित किये जा चुके है तथा शेष 03 वाहनों को मुख्यालय स्तर पर प्रवर्तन दल हेतु मय चालक निम्नानुसार आवंटित किया जाता है -

क्र. सं.	वाहन संख्या	चालक का नाम	कार्य का विवरण
1	UK07GA/4506	श्री उमराव भण्डारी (पी.आर.डी.)	प्रवर्तन दल हेतु।
2	UK07GA/4510	-	प्रवर्तन दल हेतु।
3	UK07GA/4512	श्री सीनू कुमार (उपनल)	प्रवर्तन दल हेतु।


अतः उपरोक्तानुसार समस्त वाहन चालको को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित से सम्पर्क स्थापित कर वाहन का संचालन करना सुनिश्चित करें।


(एस०एल०पेट्रिक)
निदेशक 06

संख्या 881 /वाहन आवंटन/भू0खनि0ई0/2023-24 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत।

1. प्रवर्तन दल अध्यक्ष/सदस्य।
2. आहरण वितरण अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभारी अधिकारी वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वाहन चालक (नाम से)


(एस०एल०पेट्रिक)
निदेशक 06

विभागीय 15 वर्ष से अधिक पुराने 14 वाहनों को निप्रयोज्य कर 11 पुराने वाहनों को नीलाम कर दिया गया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०स०	वाहन संख्या	रजिस्ट्रेशन दिनांक	का	रजिस्ट्रेशन अवधि समाप्ति का दिनांक	वाहन का प्रकार
1	UA07H/4578	26.03.2004		26.03.2019	मार्शल
2	UA07H/2535	05.07.2004		04.07.2019	मार्शल
3	UA07H/1883	12.12.2004		12.12.2019	अम्बेस्टर
4	UA07M/1030	27.12.2005		26.12.2020	मार्शल
5	UA07E/2253	28.09.2006		27.09.2026	बुलेरो
6	UA07N/7618	15.07.2006		08.10.2026	बुलेरो
7	UA07N/7619	26.07.2006		31.10.2026	बुलेरो
8	UA07N/7620	26.07.2006		26.07.2021	बुलेरो
9	UA07S/6840	07.06.2007		07.07.2027	बुलेरो
10	UA07S/6842	07.06.2007		01.07.2027	बुलेरो
11	UVJ/9023	आर०सी० खो गयी है		आर०सी० उपलब्ध नहीं है	मिनी ट्रक

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय आदेश

संख्या: 6296

/वाहन निष्पोज्य प्रमाण-पत्र/वाहन मुल्यांकन/भूखनि0नि0/2023-24 दिनांक 21 फरवरी, 2024

भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29 (अ) दिनांक 16 जनवरी 2023 के द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 नियम 52 में संशोधन करते हुए नियम 52 (क) में 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके सरकारी वाहनों के संदर्भ में प्राविधान किया गया है कि "दिनांक 01.04.2023 से सरकारी यानों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण-(1)नियम 52 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी यान की बाबत रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जो अधोलिखित के स्वामित्व में है।" यान के आरंभिक रजिस्ट्रीकरण की तारीख से (धारा 41 की उप धारा (7) में यथा उपबंधित), 15 वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् स्वतः समाप्त हो जायेगा।

भारत सरकार के कमानुपालन में सचिव परिवहन उत्तराखण्ड शासन के द्वारा शासनादेश संख्या 139071/ix-1/2023-396 (परि0)/2003 दिनांक 19 जुलाई, 2023 निर्गत किया गया है जिसमें 15 वर्ष से अधिक के सभी वाहनों को निष्पोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

जिसके अनुपालन में 15 वर्ष से अधिक आयु के विभागीय वाहनों में उल्लेखित 14 वाहनों को कार्यालयाध्यक्ष/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निष्पोज्य घोषित कर दिनांक 11-01-2024 को निष्पोज्य प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिये गये हैं।

निष्पोज्य होने के उपरान्त विभाग के उक्त 14 निष्पोज्य वाहनों में से 03 वाहन UA07S/6839 UA07S/6841 UA07E/4710 को स्थानीय शासकीय कार्य हेतु उक्त वाहनों की नीलामी होने तक चलन किया में रखा जायेगा। तथा शेष 11 वाहनों को जो संचालन योग्य नहीं हैं उन्हें मुख्यालय परिसर में खड़ा करना सुनिश्चित किया जाय तथा वाहनों की नीलामी प्रक्रिया की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(एस0एल0 पैट्रिक)

निदेशक

संख्या 6296 /वाहन निष्पोज्य प्रमाण-पत्र/वाहन मुल्यांकन/भूखनि0नि0/2023-24 तददिनांकित।
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- ✓1. अपर निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓2. संयुक्त निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓3. भूवैज्ञानिक/उपनिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓4. रसायनज्ञ/प्रभारी अधिकारी वाहन, भूतत्व एवं खनिकर्म, निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।
- ✓5. विभागीय समस्त वाहन चालको को इस आशय से निर्देशित किया जाता है कि विभाग के उल्लिखित निष्पोज्य 14 वाहनो में से 03 वाहन UA07S/6839, UA07S/6841, UA07E/4710 को स्थानीय शासकीय कार्य हेतु उक्त वाहनों के नीलामी होने तक चलन किया में रखा जायेगा उक्त 03 वर्णित वाहनों का संचालन सुनिश्चित करें।

(एस0एल0 पैट्रिक)

निदेशक

01/2

कार्यालय आदेश संख्या 2175/वाहन/निष्प्रयोज्य/ 2023-24 दिनांक 02 अगस्त, 2023 के द्वारा गठित विभागीय वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 09-10-2023 का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

- | | |
|--|----------|
| 1.श्री राजपाल लेघा, अपर निदेशक - | अध्यक्ष। |
| 2.अनिल कुमार, संयुक्त निदेशक - | सदस्य। |
| 3.श्री दिनेश कुमार, उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक - | सदस्य। |
| 4.श्री एच0 आर0 सिंह, रसायनज्ञ - | सदस्य। |
| 5.श्री पुष्कर लाल, चालक/सुपरवाइजर - | सदस्य। |

पत्रावली के नोटशीट संख्या 16 से 23 पर वाहन अनुभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव दिनांक 07-10-2023 के द्वारा गठित विभागीय वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें वाहन अनुभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का वाहन निष्प्रयोज्य समिति द्वारा आज दिनांक 09-10-2023 को अवलोकन किया गया।

1 प्रत्येक वाहन की व्यय तालिका सम्बन्धी विवरण :-

तालिका- A

S.N	Vehicle NO	Name of vehicle	Date of Purchase of vehicle	Purchase Cost of vehicle	Expenditure on Repairing in RS	Total K.M Distence coverd by some vehicle Above 2,00000 km	Age of Vehicle in the year of 2023
1.	UA07E/4710	Marshal	17-12-2002	RS 3,94403-00	RS 10,11152.00	296645	21 Years
2.	UA07H/2535	Marshal	06-11-2003	RS 3,84042.00	RS 7,71440.00	274575	20 Years
3.	UA07H/1883	Ambassador	12-02-2004	RS 3,88359.00	RS 5,77195.00	117334	19Years
4.	UA07H/4578	Marshal	26-03-2004	RS 3,84042.00	RS 9,80503.00	226133	19 Years
5.	UA07M/1030	Marshal	15-04-2005	RS 3,87855.00	RS 11,07413.00	147369	18Years

Bal

Handwritten signature

09/10/2023

Handwritten signature

Handwritten signature

6.	UA07N/7618	Bolero	15-07-2006	RS 4,61669.00	RS 10,74232.00	223745	17 Years
7.	UA07N/7619	Bolero	26-07-2006	RS 4,61669.00	-----	-----	17 Years
8.	UA07N/7620	Bolero	26-07-2006	RS 4,61669.00	-----	-----	17 Years
9.	UA07P/2253	Bolero	22-08-2006	RS 4,61669.00	-----	185608	17 Years
10.	UA07S/6839	Bolero	31-05-2007	RS 3,52463.00	RS 13,15499.50	297178	16 Years
11.	UA07S/6840	Bolero	31-05-2007	RS 3,52463.00	RS 11,87413.50	103385	16 Years
12.	UA07S/6841	Bolero	31-05-2007	RS 3,52463.00	RS 12,77197.00	245375	16 Years
13.	UA07S/6842	Bolero	31-05-2007	RS 3,52463.00	RS 10,13976.00	237916	16 Years
14.	UK07GB/0789	Bolero	07-05-2015	RS 6,99595.00	RS 8,93706.00	182135	08 Years
15.	UVJ/9023	Mini truck	-----	-----	RS 3,11479.00	122729	34Years

2 विभाग में वर्तमान में पुराने वाहनों की अद्यतन स्थिति का विवरण निम्नवत् है :-

तालिका-B

क्र० सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	वाहनों का क्रय वर्ष स्थिति	वर्तमान में वाहनों के पंजीकरण की वैधता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	UA07E/4710	Jeep/Diesel	2002	06-12-2023	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में उपयोग में लाई जा रही है। वाहन 21 वर्ष पुराना है।
2	UA07H/2535	Jeep/Diesel	2003	08-03-2023	वर्तमान में वाहन की आर०सी० समाप्त होने के कारण मुख्यालय देहरादून में खड़ा है। वाहन 20 वर्ष पुराना है।
3	UA07H/4578	Jeep/Diesel	2004	20-12-2023	वर्तमान में वाहन चालू हालत में है परन्तु मुख्यालय देहरादून में

B/ce
H/S

Handwritten signature and initials.

					खड़ा है। वाहन 19 वर्ष पुराना है।
4	UA07H/1883	Jeep/Diesel	2004	31-07-2024	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 19 वर्ष पुराना है।
5	UA07E/1030	Jeep/Diesel	2005	02-06-2023	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 18 वर्ष पुराना है।
6	UA07H/7618	Jeep/Diesel	2006	08-08-2026	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 17 वर्ष पुराना है।
7	UA07H/7619	Jeep/Diesel	2006	08-10-2026	अल्मोडा कार्यालय के प्रभारी खान अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्तमान में उक्त वाहन जनपद अल्मोडा कार्यालय में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 17 वर्ष पुराना है।
8	UA07H/7620	Jeep/Diesel	2006	31-10-2026	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में खड़ा है। वाहन में स्टेरिंग का कार्य होना है। वाहन 17 वर्ष पुराना है।
9	UA07H/2253	Jeep/Diesel	2006	29-09-2026	वर्तमान में वाहन चालू हालत में है। परन्तु मुख्यालय देहरादून में खड़ा है। वाहन 17 वर्ष पुराना है।
10	UA07S/6839	Jeep/Diesel	2007	07-06-2027	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में उपयोग में लाई जा रही है। वाहन 16 वर्ष पुराना है।

B/cel

HP Singh

Sum

4

Alm

11	UA07S/6840	Jeep/Diesel	2007	07-07-2027	वर्तमान में वाहन का गेयर बॉक्स खराब होने के कारण मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 16 वर्ष पुराना है।
12	UA07S/6841	Jeep/Diesel	2007	07-06-2027	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में उपयोग में लाई जा रही है। 16 वर्ष पुराना है।
13	UA07S/6842	Jeep/Diesel	2007	07-06-2027	वर्तमान में वाहन का इंजन ओवरहाल का कार्य होना है। मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन 16 वर्ष पुराना है।
14	UVJ /9023	TruckDiesel	1989-90	-	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में खराब स्थिति में खड़ा है। वाहन लगभग 33-34 वर्ष पुराना है।
15	UK07GB / 0789	Jeep/Diesel	2015	02-06-2030	वर्तमान में मुख्यालय देहरादून में उपयोग में लाई जा रही है। 08 वर्ष पुराना है।

शासनादेश संख्या 139071/IX-1/ 2023-396 (परि0)/2003 दिनांक 19 जुलाई 2023 के बिन्दु संख्या 301 की तालिका की क्रम संख्या 01के स्तम्भ 3 में वर्णित निम्नयोज्य घोषित किये जाने हेतु निर्धारित मापदण्ड- "केन्द्रीय मोटर यान नियमावली 1989 के नियम 52क में प्राविधान किया गया है कि केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या किसी नगर निगम या नगर पालिका या पंचायत या राज्य परिवहन उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्त निकाय के वाहनों के 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा। अतः वाहन के प्रथम पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर समस्त सरकारी वाहन अनिवार्य रूप से स्वतः निम्नयोज्य माने जायेंगे।"


15/11/23
HR Singh

*


4

15/11/23


अतः विभागीय गठित वाहन निष्प्रयोज्य समिति द्वारा प्रत्येक वाहन की सर्विस एवं मरम्मत कार्य पर हो रहे व्यय (खर्च) को दृष्टिगत रखते हुये व 15 वर्ष पुराने वाहन निष्प्रयोज्य घोषित कि जाने हेतु शासनादेश संख्या 139071/IX-1/ 2023-396 (परि0)/2003 दिनांक 19 जुलाई 2023 के बिन्दु संख्या 301 की उक्त तालिका की क्रम संख्या 01 के स्तम्भ 3 में वर्णित प्रविधान के क्रम में पृष्ठ संख्या 17 से 19 तक के उल्लिखित तालिका के क्रमांक संख्या 15 पर अंकित वाहन संख्या (UK 07 GB/0789) को छोडते हुये क्रमांक संख्या 01से 14 तक के सभी वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की वाहन निष्प्रयोज्य समिति द्वारा संस्तुति प्रदान की जाती है।



(पुष्कर लाल)
चालक/सुपरवाइजर
सदस्य वाहन निष्प्रयोज्य समिति




(दिनेश कुमार)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक
सदस्य वाहन निष्प्रयोज्य समिति




(एच0आर0सिंह)

रसायनज्ञ
सदस्य वाहन निष्प्रयोज्य समिति



(अनिल कुमार)
संयुक्त निदेशक
सदस्य वाहन निष्प्रयोज्य समिति



(राजपाल सिंघा)
अपर निदेशक
अध्यक्ष वाहन निष्प्रयोज्य समिति